

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम श्रीमती अश्विनी लता शर्मा श्रीरक्षिता
 2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीरक्षिता
 3. वर्तमान धारित पद श्रीरक्षिता
 4. वर्तमान वेतन उत्प्रेम
 5. आगापी वेतनवृद्धि की तारीख निगम उत्प्रेम

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7
				निरंक		

1- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

2- ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सर्वम में लागू मूल्य बतलाया जाए।

3- इसमें अलकातोन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : म.प्र. शासकीय सेवा (आधारण) नियम, 1956 के नियम 18 (3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के बारे में दे।

हरनाथर श्रीरक्षिता
 पदनाम श्रीरक्षिता
 नाम श्रीरक्षिता